



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)
Email: rlsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक: F4(180)/RSLSA/SS/NLA-II/2019/ 17218-17252 दिनांक: 11.07.2019

प्रेषित: श्रीमान् अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषय: दिनांक 13.07.2019 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर जिला मुख्यालय एवं जिले में स्थित प्रत्येक न्यायालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 13.07.2019 को सम्पूर्ण प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रत्येक न्यायालय परिसर में लम्बित व प्रि-लिटीगेशन प्रकरण के निस्तारण हेतु किया जा रहा है और इस अवसर पर विद्वान अधिवक्तागण विभिन्न विभागों के अधिकारीगण एवं पक्षकारान न्यायालय परिसर में उपलब्ध होंगे।

निर्देशानुसार यह निवेदन है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर पौधे लगाने, पेड़ों को गोद लेने एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु कदम उठाने का संदेश आमजन तक पहुंचाने की दृष्टि से प्रत्येक न्यायालय परिसर में छायादार एवं फलदार ऐसे पौधे लगाये जाये जिनकी आने वाले समय में न्यायालयों के स्टॉफ एवं विद्वान अधिवक्तागण द्वारा देख-रेख की जावे और वे भविष्य में छायादार वृक्ष का रूप ले सकें।

अतः आपसे निवेदन है कि आपके जिला मुख्यालय एवं अन्य आउटलाईन न्यायालय परिसर में कम से कम 25 ऐसे पौधे राज्य के वन विभाग एवं अन्य संस्थाओं, जो इस क्षेत्र में काम करती हैं, उनके सहयोग से राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रारम्भ करते समय सुबह 10 बजे अथवा उससे पूर्व ऐसे पौधे लगवाने (पौधारोपण) का कार्यक्रम सुनिश्चित करें। पौधारोपण का यह कार्यक्रम एक व्यापक संदेश के रूप में आमजन तक भी जाए ताकि इस वर्ष वर्तमान वर्षा ऋतु में अधिक से अधिक संख्या में ऐसे पौधों का प्लांटेशन व संरक्षण हो, जो छायादार व फलदार हो।

आप उक्त कार्यक्रम हेतु सम्पूर्ण जिले के न्यायिक अधिकारियों को एवं न्यायालय के स्टॉफ को निर्देशित करते हुए विद्वान अधिवक्तागण का सहयोग लेकर उक्त कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(अशोक कुमार जैन)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर